बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– **बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रुपये के बदले पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना एवं पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1592.42 करोड़ रूपये के विरूद्ध इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी की शेष राशि 19.34(उन्नीस करोड़ चौतीस लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–3256 दिनांक–30.10.2017 के आलोक में बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रुपये के बदले पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना एवं पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1592.42 करोड़ रूपये के विरूद्ध इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी की शेष राशि 19.34 (उन्नीस करोड़ चौतीस लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–02 ताप विद्युत उत्पादन, लघुशीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना के मांग सं0–10, उपशीर्ष–0101 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड–10–4801027960101 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
679560000.00	190000000.00	193400000.00	383400000.00	296160000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–120–अन्य निधियों, उपशीर्ष–0045 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–एल॰8448001200045 एवं प्राप्तियॉ–के0–8448001200045 में जमा की जायेगी।

7. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0ए0 खाता संख्या **PLA**273 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बि0स्टे0पा0जे0कं0लि0–51/2013 101 पटना, दिनांक– 20/11/2013

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।